भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 714
(दिनांक 08.02.2021 को उत्तर देने के लिए)

टीवी रेटिंग में हेरफेर करना

714. श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मीडिया चैनलों ने गलत तरीकों से टेलीविजन रेटिंग की प्रणाली में हेरफेर करने की कोशिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने टेलीविजन चैनलों द्वारा गलत तरीकों से टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) में हेरफेर करने के मामले के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख): अक्टूबर, 2020 से प्रकाशित न्यूज़ रिपोर्टों में टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स से संबंधित कुछ चिंताओं को व्यक्त किया गया है। प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बार्क) ने अपने उत्तर में यह कहा कि पैनल की सूचिता को बनाए रखने की अनुशासनात्मक परिषद की कार्रवाई के अलावा, बार्क ने सैंपल की छेड़छाड़ में शामिल उन व्यक्तियों के विरुद्ध सक्रिय रूप से कार्रवाई की और कई राज्यों में इनके वेंडरों के माध्यम से 11 एफआईआर दर्ज की हैं। बार्क ने कहा है कि इसकी प्रतिबद्धता भारत में टीवी दर्शकों के सशक्त और विश्वसनीय डेटा का निर्माण करने की है, इसकी प्रणाली विसंगत दर्शक व्यवहार का पता लगाने में सक्षम

थी और दायर किए गए मामले भी मजबूत डेटा सुरक्षा और सतर्कता प्रणाली के कारण ही हुए है जिसे बार्क ने समय के साथ स्थापित किया है।

(ग) और (घ): टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स से संबंधित चिंताओं का अध्ययन करने और ट्राई की नई सिफारिशों तथा व्यवस्था की तकनीकी प्रगति/हस्तक्षेप संबंधी समाधान के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रसार भारती की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसमें आईआईटी, सी-डॉट और आईआईएम से स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं। समिति को अन्य के साथ-साथ विषय से संबंधित अथवा आकस्मिक किसी भी मुद्दे का अध्ययन करने और भारत में सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने पर सिफारिशें करने का कार्य दिया गया था।

(ङ): मौजूदा दिशानिर्देशों में प्रावधान जैसे कि दर्शक माप, पैनल चयन, प्लेटफॉर्म की गोपनीयता और निजता देखना, डेटा विश्लेषण, पारदर्शी और शिकायत निवारण तंत्र आदि के लिए कार्यप्रणाली है जो कि भारत में सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली के लिए आवश्यक हैं। तथापि, ट्राई की सिफारिशों सहित दिशानिर्देशों में मौजूदा प्रावधानों और सीईओ, प्रसार भारती की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित बार्क द्वारा प्रस्तुत प्रक्रियाओं के आधार पर यदि आवश्यक हो, मामले पर आगे कार्रवाई करने के लिए विचार किया जा सकता है।

*****